



# नारी आंकि वंदन विधेयक



हाल ही में लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया है।



कानून मंत्री अर्जुन दाम मेघवाल ने विधेयक पेश किया गया है।



इसके मुताबिक लोकसभा और संघर्षों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% इंजर्वेशन लागू किया जाएगा





इस फॉर्मूले के मुताबिक  
लोकसभा की 543 सीटों में  
181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी  
अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं।

## लोकसभा में महिला आरक्षण फॉर्मूला

1/3 रिजर्वेशन के बाद महिला आरक्षित सीटें 181

- SC-ST महिला आरक्षण छोड़कर- 87
- एससी-एसटी महिला- 44
- महिला आरक्षण अन्य- 137



यह परिसीमन के बाद ही लागू होगा।



ये परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही होगा।



संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव करीब 3 दशक से पेंडिंग है।



यह मुद्दा पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली समिति ने उठाया था।



2010 में मनमोहन सिंह कार्यपाल ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित करा लिया था।





हाल ही में मुख्यमंत्री श्री रिवराज सिंह चौहान ने किसानों को स्थाई कृषि पांप कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में हितग्राहियों से फार्म भरवाने के कार्य का शुभारंभ किया।





योजना में 3 एचपी या अधिक क्षमता के स्थाई पंप करनेवाला के लिए 200 मीट्रेट तक की दूसी की 11 के.वी. लाइन के विस्तार, वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना और निक्षण दाब लाइन के बल विस्तार कार्य शामिल हैं।

अधोसंघना विकास के खर्च का 50% किसानों को देना पड़ेगा

50 फीसदी खर्च दाज्य सहकार / बिजली वितरण कंपनी देगी

Current  
**AFFAIRS**



पर्म कनेक्शन के लिए जल्दी लाइन, ट्रांसफार्मर आदि  
का मेंटेनेंस भी बिजली वितरण कंपनी करेगी

★ ★ ★  
कृषकों के समूह यदि आवेदन करते हैं तो समूह के सदस्यों  
को द्वारा समाजुपात्रिक रूप से खर्च उठाना पड़ेगा

★ ★ ★  
किसानों को केवल 50 प्रतिशत राशि भरना पड़ेगी

★ ★ ★  
ट्रांसफार्मर एवं अन्य सामग्री की बेहतर गुणवत्ता से निर्बाध विधुत  
समस्त दख-दखाव संबंधी कार्य अब बिजली वितरण कंपनी करेगी  
योजना लागू होने से 2 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी

★ ★ ★  
प्रथम वर्ष में 10,000 किसानों को लाभ होगा

# साहेल क्षेत्र

साहेल क्षेत्र के तीन देशों (माली, बुर्किना फासो और नाइजर) ने सशांत  
विद्रोह या बाहरी आक्रमण के खतरों के खिलाफ सहयोग  
करने के लिए एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।





यह पश्चिमी और उत्तर-मध्य अफ्रीका का एक अर्ध-शृंखला क्षेत्र है।  
यह सहारा देशिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र के साथ-साथ अटलांटिक  
महासागर से लाल सागर तक फैला हुआ है।



साहेल क्षेत्र के देश: बुर्किना फासो, केमरून, चाड, गान्धिया, गिनी,  
मॉरिटानिया, माली, नाइजर नाइजीरिया और सोनेगल।



यह उत्तर में सहारा देशिस्तान और दक्षिण में सवाना के बीच एक  
संक्रमणकालीन क्षेत्र बनाता है।

